न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना–पत्र (ट्रांसफर) संख्याः 06/2023
दायर दिनांकः 10.02.2023
आदेश दिनांक 28.03.2023

–:अनवानः–

कालु पिता श्री अमरा जी, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमन्द

––––प्रार्थी

–:बनामः–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, राजसमन्द

–––––विपक्षी

प्रार्थना पत्र पत्रावली अन्तरण बाबत अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के यहॉ प्रस्तुत किया हैं, जो अनवान कालु बनाम राजस्थान राज्य होकर प्रकरण संख्या 139 सन् 2022 प्रार्थना पत्र लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के रूप में विचाराधीन हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका में विपक्षी की तामील होकर जवाब एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी हैं। प्रकरण बहस हेतु नियत होकर प्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की जा चुकी हैं एवं अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत की जा चूकी हैं। प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही हो चुकी हैं। लेकिन उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में पिठासीन अधिकारी द्वारा आदेश नही किया जाकर केवल पेशी दिनांक ही नियत की जा रही है। जिससे उक्त न्यायालय में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से प्रार्थी को सहायक कलक्टर, राजसमन्द से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से उक्त प्रकरणों का अन्य सहायक कलक्टर, मे अन्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण की पत्रावली किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरण कराने का आदेश फरमाया जावें।

पक्षकारान को सुना गया/सहायक कलक्टर राजसमन्द से उक्त प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। विपक्षी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में किसी प्रकार की कोई आपत्ती प्रस्तुत नही की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम सहायक कलक्टर के यहॉ पर स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हैं। उक्त प्रकृति के मामले शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा भी प्रदान कर रखें हैं। अधिवक्ता विपक्षी के द्वारा बहस में निवेदन किया है कि वर्ष 2022 से न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, राजसमन्द में यह प्रकरण विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरण स्थानान्तरण का कोई ठोस आधार उक्त मामले में नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण वर्ष 2022 से अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसे स्थानान्तरण हेतु अन्य सहायक कलक्टर, के यहा पर ट्रांसफर कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी उक्त प्रकरण का वादी है, प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही हो जाने के बाद भी पिठासीन अधिकारी द्वारा आदेश नही किया जाकर केवल पेशी दिनांक ही नियत की जा रही है। जिससे उक्त न्यायालय में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से प्रार्थी को सहायक कलक्टर, राजसमन्द से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने से उक्त प्रकरण को अन्य सहायक कलक्टर, मे अन्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना शपथ–पत्र भी पेश किया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर, राजसमन्द से सहायक कलक्टर, रेलमगरा में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पारित किया जाता हैं। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर, राजसमन्द को प्रेषित करे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद